निरीक्षण टिप्पणी

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम	:	**श्री विजय किरन आनन्द,**
पदनाम	:	जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।
निरीक्षित ग्राम सभा	:	ग्राम **चौढ़ेरा** , विकास खण्ड–भावलखेड़ा, जनपद–शाहजहाँपुर।
निरीक्षण का दिनांक	:	27–04–2016

मेरे द्वारा दिनांक 27–04–2016 को ग्राम चौढ़ेरा विकास खण्ड–भावलखेड़ा, जनपद शाहजहाँपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री अजयप्रकाश, परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण, श्री ओमकार नाथ वर्मा, तहसीलदार–सदर, श्रीमती गीता द्विवदी प्रभारी, सी0डी0पी0ओ0 भावलखेड़ा, प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी–भावलखेड़ा एवं अन्य जिलास्तरीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। राज्य पोषण मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में कुपोषण उन्मूलन कार्यक्रम हेतु चयनित ग्राम चौढ़ेरा, विकास खण्ड–भावलखेड़ा, जनपद शाहजहाँपुर की आबादी 10007(जनगणना 2011) जोकि कुल 1703 परिवारों से है ग्राम की अनुसचित जाति जनसंख्या 2950 एवं अनुसूचित परिवार 528 है। गांव में कुल 445 बी0पी0एल0 परिवार चिन्हित है। राजस्व ग्राम चौढ़ेरा का एक मजरा परमाली है।

2. आंगनवाड़ी केन्द्रां का विवरण तथा उनमें पंजीकृत कुपोषित बच्चों का विवरणः–

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम में 09 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। आंगनवाड़ी केन्द्रों का भ्रमण कर आंगनवाड़ी केन्द्र पर उपस्थित सहायिकाओं से बच्चों को दी जा रही शिक्षा आदि के सम्बन्ध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि केन्द्र पर उपस्थित बच्चों को सहायिकाओं द्वारा भावगीत आदि भी नहीं सिखाया जा रहा है तथा न ही उनको नियमित रूप से पोषाहार आदि ही वितरित किया जा रहा है। केन्द्र का संचालन नाम–मात्र के लिए किया जा रहा है।

ग्राम के सभी केन्द्रों पर कार्य की गुणवत्ता अत्यन्त ही असन्तोषजनक पायी गई। इस सम्बन्ध में जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह दोनों केन्द्रों पर तैनात आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के कार्यो की एक माह बाद समीक्षा करें यदि इनके कार्यो में सुधार परिलक्षित न पाया जाए तो सभी के विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम परमाली में आंगनवाड़ी केन्द्र बरामदे में संचालित है। खण्ड शिक्षा अधिकारी–भावलखेड़ा को निर्देशित किया गया कि वह आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन हेतु प्राथमिक विद्यालय में एक कक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही : जिला कार्यक्रम अधिकारी, शाहजहाँपुर / खण्ड शिक्षा अधिकारी–भावलखेड़ा।)

वर्णात्मक रिपोर्ट :–

क्रम सं0	आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम	माह जनवरी, 2015 में			वर्तमान माह में (मार्च, 2016)					सुधरीकृत बच्चो की सं0	
		0–5 वर्ष के कुल बच्चों की सं0	लाल श्रेणी के बच्चों की सं0	पीली श्रेणी के बच्चों की सं0	0–5 वर्ष के कुल बच्चों की सं0	लाल श्रेणी के बच्चों की सं0		पीली श्रेणी के बच्चों की सं0		लाल श्रेणी के बच्चों में सुधार (4–7)	पीली श्रेणी के बच्चों में सुधार (5–9)
						जनवरी, 2015 के सापेक्ष	जनवरी 2015 के पश्चात चिन्हांकित नये बच्चे जो वर्तमान माह में भी लाल श्रेणी में है।	जनवरी, 2015 के सापेक्ष	जनवरी 2015 के पश्चात चिन्हांकित नये बच्चे जो वर्तमान माह में भी पीली श्रेणी में है।		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	चौढ़ेरा–1	177	05	15	183	00	02	000	10	03	05
02	चौढ़ेरा–2	155	02	10	162	00	01	00	09	01	01
03	चौढ़ेरा–3	116	11	15	184	00	06	00	08	05	07
04	रौसरकोठी–1	119	01	08	133	01	02	00	08	00	00
05	रौसरकोठी–2	159	01	13	190	01	02	02	15	00	02
06	रौसरकोठी–3	121	01	10	136	00	01	00	08	00	02

07	रौसरकोठी–4	125	02	10	138	00	01	00	08	01	02
08	दनियापुर	214	01	27	213	02	03	00	27	00	00
09	परमाली	144	01	04	132	00	01	00	03	00	01
	कुलयोग	**1330**	**25**	**112**	**1471**	**4**	**19**	**2**	**96**	**10**	**20**

ग्राम चौढ़ेरा के सभी आंगनवाडी केन्द्र पर पंजीकृत कुपोषित बच्चों का निम्नवत् अंकित तालिका के आधार से यह स्पष्ट है कि माह जनवरी, 2015 के सापेक्ष मार्च, 2016 मे **04** अतिकुपोषित (लाल श्रेणी) बच्चों मे सुधार हुआ जबकि कुपोषित श्रेणी (पीली श्रेणी) के बच्चों मे माह जनवरी, 2015 के सापेक्ष मार्च, 2016 में **96** बच्चों में सुधार हुआ है। जबकि अभी भी **19** बच्चे अतिकुपोषित श्रेणी में हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया गया कि ग्राम में लगातार भ्रमण करें तथा सी0डी0पी0ओ0 को लगातार 02 दिन ग्राम में कैंम्प कर ग्राम के अन्य बच्चों का भी वजन कराना सुनिश्चित करे साथ ही कुपोषण से ग्रस्त शेष बच्चों को एक माह के भीतर कुपोषण से मुक्त कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही : जिला कार्यक्रम अधिकारी, शाहजहाँपुर।)

4. सुधार के लिये सुझाव :– ग्राम में निरीक्षण के दौरान उपस्थित जनसमुदाय को कुपोषण के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। ग्रामवासियों को स्वच्छता से रहने, शौचालय का प्रयोग करने तथा किसी भी दशा में खुले में शौच न करने तथा खुले में शौच करने से होने वाली बीमारियों एवं समस्याओं से अवगत कराया गया। ग्राम में गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को पौष्टिक आहार दिये जाने के तथा उनको नियमित रूप से आवश्यक आयरन, फोलिक ऐसिड एवं कैल्शियम की दवाएं दिए जाने हेतु प्रेरित किया गया। कुपोषण दूर करने के सम्बन्ध मे जिला कार्यक्रम अधिकारी को यह निर्देशित किया गया कि बाल विकास परियोजना अधिकारी, क्षेत्रीय मुंख्य सेविका तथा ग्राम–सभा में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से प्रत्येक माह वी0एच0एन0डी0पर 0 से 5 वर्ष तक सभी बच्चों का वजन करना सुनिश्चित करें तथा जिसका अंकन ग्रोथ चार्ट पर भी किया जायें एवं चिन्हित अतिकुपोषित बच्चों के परिवारों का गृह भ्रमण कर बच्चों के माता–पिता को पोषण एवं पुर्नवास केन्द्र भेजने हेतु प्रोत्साहित किया जाये तथा मुख्य चिकित्साधिकारी एवं उपस्थित प्रभारी चिकित्साधिकारी को यह निर्देशित किया गया कि स्वास्थ्य कैंप लगाकर चिन्हित कुपोषित तथा अतिकुपोषित बच्चों व गर्भवती व धात्री महिलाओं का चिकित्सीय परीक्षण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही : मुख्य चिकित्साधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी, शाहजहाँपुर।)

5. कार्यो का विवरण– आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत 03 से 06 वर्ष के बच्चों को संज्ञात्मक ज्ञान की पुस्तकें, खिलौने व स्लेटें वितरित की जा चुकी है। राज्य पोषण मिशन योजना के अन्तर्गत जनपद मे प्राथमिक विद्यालय मे संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों मे रंगाई–पुताई, हिन्दी–अंग्रेजी वर्णमाला, फल–फूल, पक्षियों का चित्रण कराया जा चुका है। आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं क्षेत्रीय मुख्य सेविका को यह निर्देश दिये गये कि प्रदान की गयी उक्त सुविधाओं के सम्बन्ध में जनसमुदाय में प्रचार–प्रसार कराते हुए उक्त सुविधाओं का लाभ लाभार्थियों को प्रदान किया जायें। ग्राम सभा सिसौआ लाभार्थियों को सैनिटेशन किट का वितरण कराया गया।

6. आगामी माह की कार्ययोजना–

राज्य पोषण मिशन के अन्तर्गत संचालित कुपोषण उन्नमूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा गोद ली गई ग्राम सभा सिसौआ, विकास खण्ड, भावलखेड़ा में कुपोषण उन्नमूलन हेतु आगामी माह हेतु निर्धारित कार्ययोजना निम्नवत् है :–

अ–बाल विकास विभाग हेतु–

(क)– सभी गर्भवती/धात्री महिलाओं का शत प्रतिशत पंजीकरण/समय समय पर अपडेट करते हुए उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण एवं टीकाकरण हेतु वी0एच0एन0डी0 सत्र स्थल पर लाना सुनिश्चित किया जायें।

(ख)– प्रत्येक माह अतिकुपोषित बच्चों की सूची बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत करें तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी से समन्वय बनाते हुए अतिकुपोषित बच्चों के चिकित्सीय परीक्षण के समय उपस्थित रहें।

(ग)– चिन्हित किये गये अतिकुपोषित बच्चों का 15 दिवस के अन्तराल पर पुनः वजन कर स्वास्थ्य प्रगति की निगरानी करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही : जिला कार्यक्रम अधिकारी, शाहजहाँपुर।)

ब–स्वास्थ्य विभाग हेतु–

(क)– प्रत्येक ग्राम सभा में समस्त गर्भवती महिलाओं तथा 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों का समयानुसार सम्पूर्ण टीकाकरण करना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहाँपुर को निर्देशित किया गया कि वह क्षेत्रीय स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक कार्ययोजना तैयार कर दिशा–निर्देश प्रदान करें कि वह गर्भवती व धात्री महिलाओं को आवश्यक टीकाकरण करें तथा, आयरन, फोलिक एसिड की गोलियां व विटामिन–ए आदि का नियमित रूप से वितरण कराएं।

(ख)– ए0एन0एम0 द्वारा बताया गया कि आयरन की गालियाँ स्टाक मे अभी तक उपलब्ध नही है। उक्त के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहाँपुर को पुनः निर्देशित किया गया कि वह शीघ्र आयरन की गोलियाँ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे आवश्यकतानुरूप ग्रामीण महिलाओं के उपयोगार्थ वितरित की जा सके। कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करते हुए गम्भीरता से ले और आवश्यकता पूर्ति कराएं।

(कार्यवाही : मुख्य चिकित्साधिकरी/जिला कार्यक्रम अधिकारी, शाहजहाँपुर।)

स–पंचायत राज विभाग हेतु–

(क)– ग्राम में निरीक्षण के दौरान स्पष्ट हुआ कि अभी भी ग्राम की अधिकांश जनसंख्या खुले में शौच के लिए जाती है । ऐसे में खुले में शौच को हतोत्साहित कर शौचालय की उपलब्धता तथा उसका उपयोग करने के प्रति ग्रामवासियों को जागरूक करना सुनिश्चित किया जाये।

(ख)– इस बात का विशेष ध्यान रखा जायें कि कूड़े/गन्दगी का निस्तारण सफाईकर्मी द्वारा नियमित रूप से किया जाये।

निरीक्षण के दौरान ग्रामवासियों को शासन द्वारा संचालित होने वाली विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ–साथ कुपोषण के प्रति जागरूकता लाये जाने के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी

दी गयी एवं इसके अतिरिक्त विभागीय जिला स्तरीय अधिकारियों ने अपने विभागीय कार्यक्रमों/लक्ष्य एवं वर्तमान प्रगति की जानकारी उपस्थित ग्रामीणों को दी गयी। ग्राम पंचायत अधिकारी, अवर अभियन्ता विद्युत, प्रभारी चिकित्साधिकारी, लेखपाल, खण्ड विकास अधिकारी, तहसीलदार उप जिलाधिकारी आदि के मोबाइल नम्बर बड़े-बड़े अक्षरों में विद्यालय की दीवार/पंचायत पर वाल पेन्टिंग द्वारा लिखवाये जाने के निर्देश खण्ड विकास अधिकारी को दिए गए ।

निरीक्षण के दौरान ग्रामवासियों से ग्राम विकास अधिकारी एवं लेखपाल के नियमित रूप से ग्राम में आने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई। ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त दोनों कर्मचारियों के ग्राम में उपस्थित होने हेतु कोई भी दिन निश्चित नहीं है। तहसीलदार-सदर एवं खण्ड विकास अधिकारी-भावलखेड़ा को निर्देशित किया गया कि वह तत्काल अपने-अपने कर्मचारी का रोस्टर निर्धारित करें और सप्ताह में कम से कम एक दिन निश्चत करें तथा उक्त निर्धारित दिवस पर ग्राम विकास अधिकारी व लेखपाल अनिवार्य रूप से ग्राम में प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर ग्रामवासियों के साथ बैठक कर समस्याओं को सुने और उनका यथासम्भव निराकरण कराएं यदि कोई समस्या किसी अन्य विभाग अथवा अधिकारी से सम्बन्धित हो तो अविलम्ब उससे उन्हें अवगत कराकर समस्या का निराकरण कराएं। तदोपरान्त मध्याह्न 12.00 बजे से 02.00 तक ग्राम में भ्रमण कर अपने-अपने से सम्बन्धित कार्यों को चिन्हित कराकर उन्हें सम्पादित कराएं।

<u>सम्पर्क मार्ग :-</u>

ग्राम पंचायत चौढ़ेरा शाहजहाँपुर-हरदोई राजमार्ग पर स्थित है तथा राजमार्ग से ग्राम चौढ़ेरा तक कुल 180मी0 तक पक्का मार्ग निर्मित है जो मरम्मत योग्य है। अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 को निर्देशित किया गया कि वह मार्ग की आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व प्रत्येकदशा में मार्ग की मरम्मत कार्य कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, शाहजहाँपुर।)

<u>विद्युतीकरण :-</u>

ग्राम चौढ़ेरा में निरीक्षण के दौरान विद्युतीकरण कार्य की समीक्षा की गई। अधिशासी अभियन्ता-विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में कुल **105** कनेक्शन हैं। इस प्रकार ग्राम में **1703** परिवारों में मात्र **105** विद्युत कनेक्शन होना आपत्तिजनक है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश ग्राम में अवैध रूप से कटिया डालकर विद्युत चोरी की जा रही है। बैठक के दौरान ग्रामवासियों से विद्युत कनेक्शन लिये जाने की अपील की गयी कि वह विद्युत कनेक्शन लेने के उपरान्त ही विद्युत का उपभोग करने का आग्रह किया गया। ग्राम में कुल **10** विद्युत परिवर्तक लगे हैं, ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि सभी परिवर्तक सही रूप से कार्य कर रहे हैं। अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम को निर्देशित किया गया कि वह आगामी सप्ताह में ग्राम में दिन निर्धारित कर ग्राम में शिविर लगाकर ग्रामवासियों को विद्युत कनेक्शन वितरण करायें साथ ही गांव में अधिक से अधिक विद्युत कनेक्शन लेने हेतु ग्रामवासियों को प्रेरित करें। यदि ग्रामवासियों द्वारा उसके उपरान्त कटिया डाल कर विद्युत चोरी की जाए तो उसके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर कठोर विधिक कार्यवाही की जाए।

स्वच्छ शौचालय :–

ग्राम में भ्रमण के दौरान सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अवगत कराय गया कि इस राजस्व ग्राम चौढ़ेरा में गत वित्तीय वर्ष में कुल 03 स्वच्छ शौचालय बनाये गये है। अतः ग्राम में शौचालय की स्थिति असन्तोषजनक पायी गयी। जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह ग्राम में खुले में शौच करने की प्रवृत्ति को समाप्त करने हेतु जनजागरूकता अभियान चलाए तथा टीम भेज कर ग्राम में लोगों को खुले शौच से होने वाली बीमारियों एवं समस्याओं के प्रति जागरूक कराएं तथा सुनिश्चित करें कि सभी ग्रामवासी अपना शौचालय स्वयं बनवाएं तथा शौचायल पूर्ण हो जाने के उपरान्त उनको स्वीकृति पत्र प्रदान कर धनराशि उनके खातों में भिजवाएं। खण्ड विकास अधिकारी, भावलखेड़ा को निर्देशित किया गया कि वह ग्राम में निगरानी टीम गठित कर खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों को चिहिन्त करें तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करे। तहसीलदार–सदर को निर्देशित किया गया कि वह राजस्व विभाग की टीम के साथ कार्य करते हुए खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाएं।

स्वच्छ पेयजल :–

ग्राम में भ्रमण के दौरान स्वच्छ पेयजल हेतु ग्राम में स्थापित हैण्डपम्पें की जानकारी प्राप्त की गई। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में ग्रामवासियों के पीने हेतु स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु कुल 105 हैण्डपम्प स्थापित हैं। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामवासियों से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि 09 हैण्डपम्प कार्यरत नहीं हैं। अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0जल निगम को निर्देशित किया गया कि वह तत्काल सभी हैण्डपम्पों के पानी का परीक्षण कराएं कि उनको सही कराना सुनिश्चित करें। साथ ही पानी पीने योग्य है अथवा नहीं तथा यह परीक्षण नियमित रूप से समय–समय पर कराया जाए, यदि किसी नल के पीने का पानी स्वच्छ अथवा पीने योग्य नहीं है, तो अवलिम्ब उसकी मरम्मत कर सही कराया जाए। अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि वह ग्रामवासियों से वार्ता कर उनको जानकारी उपलब्ध कराएं कि उनके द्वारा निजी रूप से लगाए गए हैण्डपम्पों के पानी को किसी भी दशा में पेयजल के लिए उपयोग मे न लाएं और सभी ग्रामवासी केवल इण्डिया मार्का हैण्डपम्प के पानी को ही पेयजल हेतु उपयोग में लाने के लिए जागरूक करें।

ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह पेयजल की नियमित टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग किट ग्राम में ही सुरक्षित रखें और समय समय पर पेयजल का परीक्षण करें। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को निर्देशित किया गया कि वह अविलम्ब वाटर टेस्टिंग किट ग्राम में उपलब्ध कराएं और सभी ग्रामवासियों को अवगत कराया गया कि वह समय–समय पर वाटर टेस्टिंग अवश्य कराएं तथा वाटर टेस्टिंग में उपयुक्त पाये जाने पर ही पेयजल को उपयोग में लाएं। यदि किसी हैण्डपम्प का जल टेस्टिंग में पीने हेतु उपयुक्त न पाया जाए तो उसकी सूचना तत्काल अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को एवं खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध कराएं ताकि उसकी यथासमय मरम्मत करायी जा सके।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम में पेयजल हेतु एक टंकी निर्मित की गई है। ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि टंकी की पाइपलाइन सही न होने के कारण पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। **अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को निर्देशित किया गया कि वह संबंधित ठेकेदार को आज ही जनपद में बुलाकर पाइप**